राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(4)( )आरबी/2019/ 8736 दिनांक 19 नवम्बर, 2019

आदेश

कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 04.11.2019 में चर्चा के दौरान माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नये स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों की संपत्तियों/दायित्व का मूल विश्वविद्यालय से बंटवारे संबंधी विवादों का निस्तारण एवं राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंशन व अन्य भुगतानों संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान किये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर – **अध्यक्ष**
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर – सदस्य
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर – सदस्य
4. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा – सदस्य
5. कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर – सदस्य सचिव

उक्त कमेटी अपनी अनुशंषाऐं तीन माह की अवधि में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबीर कुमार)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(4)( )आरबी/2019/8737 दिनांक 19 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
5. कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान